प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 12.08.2024

पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने व हत्या का प्रयास करने के आरोप में 15 हजार रूपये का इनामिया पशु तस्कर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक एम्स के नेतृत्व में उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह मय पुलिस टीम के थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 063/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 व धारा 307, 120B भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त/पशु तस्कर सबाब पुत्र साबू उर्फ सहाबुद्दीन निवासी संभलहेड़ा थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर हा0मु0 मीरानपुर थाना कोतवाली जनपद अम्बेडकरनगर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.02.2022 की रात्रि को थाना क्षेत्र के NH-28 हाइवे पर दो ट्रकों से गोवंश पशुओं को वध करने हेतु अन्तर्राज्यीय पशु तस्करों द्वारा निर्दयता पूर्वक परिवहन करते हुए बिहार ले जाने की सूचना पर घेराबन्दी कर बैरियर लगाकर ट्रकों को रोकने का प्रयास करने पर पशु तस्करों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से ट्रक चढ़ाने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी एवं बैरियर को तोड़कर भागने का प्रयास किया गया जिसमें पुलिस टीम द्वारा उक्त ट्रकों का पीछा कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 38 राशि गोवंश, एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, दो अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया था जिसमें अभियुक्त सबाब पुत्र साबू व मोहम्मद सहजाद पुत्र फारूख निवासी संभलहेडा थाना मीरपुर जनपद मुजफ्फरनगर मौके से फरार हो गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सबाब उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु 15000 रूपये का ईनाम घोषित किया गया था। जिससे संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

सबाब पुत्र साबू उर्फ सहाबुद्दीन निवासी संभलहेड़ा थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर हा0मु0 मीरानपुर थाना कोतवाली जनपद अम्बेडकरनगर

i. मु0अ0सं0 339/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 34, 419, 420, 429, 467, 468, 471 भादवि0 थाना कलवारी जनपद बस्ती
ii. मु0अ0सं0 677/2015 धारा 41, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि0 थाना कलवारी जनपद बस्ती
iii. मु0अ0सं0 676/2015 धारा 21, 22, 8B नोरकोटिक ड्रग्स एण्ड साइक्रोट्रोपिक सब्सटानसिस एक्ट थाना कलवारी जनपद बस्ती
iv. मु0अ0सं0 154/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना रोनाही जनपद अयोध्या
v. मु0अ0सं0 539/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 307 भादवि0 थाना हाटा जनपद कुशीनगर

vi. मु0अ0सं0 063/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 व धारा 307, 120B भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

vii. मु0अ0सं0 221/2023 धारा 174A भादवि0 थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती

viii. मु0अ0सं0 008/2023 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 063/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 व धारा 307, 120B भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल-

1. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी सोनबरसा, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
2. कां0 विपिन वर्मा, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
3. कां0 संजय कुमार यादव, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर